



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488

पत्रांक :-ए- 1183 /सी0ए0 नियुक्ति निविदा दिनांक- 07.06.2019

शुद्धि-पत्र- (Corrigendum)

इस कार्यालय के पत्रांक- ए 1123/ एी0ए0 नियुक्ति निविदा दिनांक- 03.06.2019, द्वारा वैब साइट में प्रकाशित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) में लिपिकीय त्रुटि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के विभिन्न प्रशासनिक, प्रकाष्ठ विक्रय, उपखनिज विक्रय, लौगिंग कार्यों के विदोहन सम्बन्धी तथा ईको-टूरिज्म कार्यालयों के जी0एस0टी0 सम्बन्धी समस्त कार्यों तथा टर्न ओवर, जिसका उल्लेख प्रपत्र-1 में किया गया है, के परिपेक्ष्य में जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 तथा केन्द्र सरकार एवं जी0एस0टी0 विभाग द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों/प्राविधान के अनुपालन हेतु कार्य /निविदा शर्तों का विस्तृत विवरण के बिन्दु सं0-1. में - जी0एस0टी0आर0-1 एवं जी0एस0टी0आर0-3 बी त्रैमासिक रिटर्न लिखा गया है जिसके स्थान पर मासिक रिटर्न पढ़ा जाय ।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम में उत्पादित होने वाले वनोपज/उपखनिज विदोहन आदि के लिए लागू जी0एस0टी0 की दरों एवं एच0एस0एन0 कोड एवं प्राविधानों से अवगत कराना। उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त कार्यालयों (39) प्रारूप-1 के अनुसार मासिक Inward outward supply सम्बन्धी लेन-देनों की उपलब्ध करायी गयी सूचना (Excel sheet) से जी0एस0टी0आर0-1 एवं जी0एस0टी0आर0-3 बी मासिक रिटर्न तैयार कर निर्धारित समय के अन्तर्गत फाईल करना। कार्य के एवज में दिये जाने वाले प्रतिफल/पारिश्रमिक (Cost of assignment or contract price) का निर्धारण :- के बिन्दु सं0- 5. में 10 लाख की बैंक गारण्टी के स्थान पर साथ रू0 1.00 लाख(एक लाख) मात्र की बैंक गारण्टी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एस0टी0डी0आर0/एफ0डी0 आर0 पढ़ा जाय ।

शेष सभी शर्तें एवं प्रारूप पूर्ववत् रहेंगी ।

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक